OFFICE OF THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE (HQs): DELHI

CIRCULAR

Whereas Hindi language in Dev Nagri script has been declared as the official language of the National Capital Territory of Delhi and the Delhi Official Language Act, 2000 has come into force in the National Capital Territory of Delhi w.e.f.26-01-2004, hence accepting the recommendations of the Central Hindi Implementation Committee, District Court of Delhi, it has been decided that the following office works of administrative nature will be carried out bilingually (Hindi-English) or in Hindi :-

- Replies to all letters/correspondences received in Hindi or signed in Hindi must be given in Hindi only.
- On all registers, headings/subjects shall be written in Hindi at the top and thereafter in 2. English below it and headings of all the columns shall be written bilingual (First Hindi then in English) and necessary entries should be made in Hindi language.
- Name plates, notice boards, rubber stamps, logos, leave proformas, stationery proformas, 3. general orders, tenders, advertisements, circulars, manuals, code-manuals, standard forms etc. should be prepared/issued bilingual (First Hindi then in English).
- In Compliance of this office previous orders number 31057-517/Hindi/237/09 dated 24/03/2009 and order number 59802 -60002/Hindi/237/2017, dated 12-09-2017, the administrative work in respect of orderlies, peons, Fraash, Mali, Chaukidars, Drivers, cleaning staff and other equivalent category officials must be carried out/executed in Hindi language.
- Raj Bhasha Hindi should be used in other spheres of office work also, wherever possible.

All Ld. Judicial Officers and other officers and In-Charges are, therefore, requested to ensure that the official language Hindi is used in above matters office works. These instructions should be followed strictly by all concerned.

(Sanjay Garg)

Dated, Delhi the.....

2514124

Principal District and Sessions Judge (HQs), Tis Hazari Court, Delhi

/Hindi/238/C.H.I.C/Circular/2024 1. Registrar General, Hon'ble High Court of Delhi, New Delhi.

23648

2. All Ld. Principal District and Sessions Judge, Delhi/New Delhi, (with the request to circulate this circular in their respective judicial district and bring it to the notice of all Ld. Judicial Officers and other Officers and employees.

3. Ld. Chairman/Members and Nodal Officers in all judicial districts, Central Hindi Implementation Committee, District Court, Delhi.

4. Ld. Principal Judge, Family Court, Central District, Tis Hazari Court, Delhi.

5. Ld. Judge-In-charge, Mediation Centre, Tis Hazari Court, Delhi. 6. All Ld. Judicial Officer, Central District, Tis Hazari Court, Delhi.

7. Ld. Judge In-Charge of all Branches, Central District, Tis Hazari Court, Delhi.

8. Ld. Secretary, Delhi State Legal Services Authority, Central District, Tis Hazari Court, Delhi.

9. Ld. Administrative Civil Judge, Central District, Tis Hazari Court, Delhi.

10. All Senior Administrative Officers (Judicial), Administrative Officers (Judicial) and Branch/Section In-charges, Central District, Tis Hazari Court, Delhi, with directions to ensure compliance of the circular.

11. Raj Bhasha Hindi Sections, All Districts, Delhi/New Delhi.

12. Concerned Staff, Layers, Central District, Tis Hazari Court, Delhi (with directions to place this circular on Layers).13. Website Committee, District Court Delhi (with directions to place this circular on the website).

14. PS in the office of the undersigned.

Principal District and Sessions Judge (HQs), Tis Hazari Court, Delhi.

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय): दिल्ली

परिपत्र

जैसा कि देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राजभाषा चोषित किया जा चुका है और दिनांक 26-01-2004 से दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू हो चुका है, अतः केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय दिल्ली की अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि निम्न वर्णित प्रशासनिक प्रकृति के कार्य द्विभाषी (हिन्दी-अँग्रेजी) या हिन्दी में किए जाएंगे:-

- 1. हिन्दी में प्राप्त या हिन्दी में हस्ताक्षरित पत्रों के उत्तर आवश्यक तौर पर हिन्दी में दिए जायें।
- 2. सभी पंजिकाओं/रजिस्ट्रों पर विषय ऊपर हिन्दी में व उसके नीचे अंग्रेजी में लिखे जाएँ तथा सभी कॉलम के शीर्षक द्विभाषी (ऊपर हिन्दी उसके नीचे अँग्रेजी) में लिखे/बनाए जाएँ तथा आवश्यक प्रविष्टियाँ हिन्दी भाषा में की जाएँ।
- 3. नामपट्ट, सूचना पट्ट, रबड़ की मोहरें, लोगो, अवकाश के प्रपत्र (प्रफॉर्मा), स्टेशनरी के प्रपत्र (प्रफॉर्मा), सामान्य आदेश, निविदाएँ, विज्ञापन, परिपत्र, नियमाविलयाँ, कोड-मैन्युअल, मानक फार्म इत्यादि द्विभाषी (ऊपर हिन्दी उसके नीचे अँग्रेजी) में तैयार करवाएँ/जारी किए जाएँ।
- 4. अर्दली, चपरासी, फ्राश, माली, चौकीदार, चालकों, सफाई-कर्मचारियों व समकक्ष वर्ग के कर्मचारियों से संबंधित प्रशासिनक कार्य कार्यालय के पूर्ववर्ती आदेश संख्या 31057-517/हिन्दी/237/09 दिनांक 24/03/2009 व आदेश संख्या 59802-60002/हिन्दी/237/2017, दिनांक 12-09-2017 के अनुरूप आवश्यक तौर पर हिन्दी भाषा में किए जायें।
- 5. अन्य कार्यालय कार्यों में, जहाँ भी आवश्यक/संभव प्रतीत हो, राजभाषा हिन्दी का प्रयोग किया जाएँ।

अतः सभी विद्वान न्यायिक अधिकारी तथा अन्य अधिकारी व अनुभाग प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त कार्यों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग आवश्यक तौर पर किया जाए। इन निर्देशों का सभी संबंधितों के द्वारा सखती से पालन किया जाना चाहिए।

(संजय गर्ग)

(सजय गग)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय),

तीस हजारी न्यायालय,दिल्ली।

2 3 4 68 - 2 3 6 7 8 या........हिन्दी/238/के.हि.का.समि./परिपत्र /2024

1. विद्वान रजिस्ट्रार जनरल, सम्माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।

- समस्त विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली/नई दिल्ली, इस अनुरोध सिहत कि इस परिपत्र को अपने संबंधित न्यायिक जिले में परिचालित/सर्कुलेट करवाते हुए इसे सभी न्यायिक अधिकारियों व अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों के संज्ञान में लायें।
- 3. विद्वान अध्यक्ष/सदस्य व सभी न्यायिक जिलों में मनोनीत वि. नोडल अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय दिल्ली।
- 4. विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
- विद्वान प्रभारी न्यायाधीश, मध्यस्थता केन्द्र, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
- समस्त वि. न्यायिक अधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
- 7. सभी अनुभागों के वि. प्रभारी न्यायाधीश, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय दिल्ली।
- 8. वि. सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
- वि. प्रशासनिक दिवानी न्यायाधीश, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
- सभी विरेष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली, इस निर्देश सहित कि परिपत्र में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
- 11. राजभाषा हिन्दी अनुभाग, समस्त न्यायिक जिले, दिल्ली/नई दिल्ली।
- 12. संबंधित कर्मचारी, लेयर्स, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय दिल्ली (लेयर्स पर प्रदर्शित करें)।
- 13. वेबसाइट समिति, जिला न्यायालय दिल्ली (जिला न्यायालय दिल्ली की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें)
- 14. अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निजी सचिवा

न जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मख्यालय)

नधान जिला एवं सत्र नथायाधाश (मुख्यात

तीस हजारी न्यायालय,दिल्ली।